



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय-विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

विषय : दिनांक २४.०६.२०२४ को पूर्वाह्न ११.३० बजे आयोजित विद्या परिषद् की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की विद्या परिषद् की नौवीं बैठक दिनांक २४.०६.२०२४ को पूर्वाह्न ११.३० बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

१. प्रो. नुरतोनोवर पाठक	अध्यक्ष	
२. प्रो. नूतुला त्रिपाठी	बाह्य सदस्य	(ऑनलाइन)
३. प्रो. बनारस त्रिपाठी	बाह्य सदस्य	(ऑनलाइन)
४. प्रो. मनोज कुमार मिश्र	बाह्य सदस्य	
५. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य	
६. प्रो. जेम कुनार शर्मा	सदस्य	(ऑनलाइन)
७. प्रो. सदन सिंह	सदस्य	
८. प्रो. देवी प्रसन्न त्रिपाठी	सदस्य	(ऑनलाइन)
९. प्रो. ए.एस. कृष्णमुदन	सदस्य	
१०. प्रो. भागीरथ नन्द	सदस्य	
११. प्रो. शुक्रदेव शर्मा	सदस्य	
१२. प्रो. मोनू कश्यप	सदस्य	
१३. प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	सदस्य	
१४. प्रो. कल्पना जैन	सदस्य	
१५. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य	
१६. प्रो. वीर सागर जैन	सदस्य	
१७. प्रो. मयस्कण्डनाथ तिवारी	सदस्य	
१८. प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र	सदस्य	
१९. प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा	सदस्य	
२०. प्रो. यशवीर सिंह	सदस्य	
२१. प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्य	
२२. प्रो. शिवरांकर मिश्र	सदस्य	
२३. प्रो. रान चन्द्र शर्मा	सदस्य	
२४. प्रो. रान सलाही द्विवेदी	सदस्य	(ऑनलाइन)

सत्यापित
VERIFIED

(ऑनलाइन)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

25. प्रो. आगतमुदन	सदस्य
26. प्रो. आगतमुदन	सदस्य (ऑनलाईन)
27. प्रो. आगतमुदन	सदस्य
28. प्रो. आगतमुदन	सदस्य
29. डॉ. मनोज कुमार मोणा	सदस्य
30. डॉ. अभिषेक गिवार	सदस्य
31. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	कुलसचिव (प्रभारी) एवं सचिव

प्रो. ए.एस. आगतमुदन, दर्शन पीठाध्यक्ष के मंगलाचरण से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में उपस्थित बाह्य एवं विश्वविद्यालय के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिससे विश्वविद्यालय अधिकाधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सुचारु रूप से पूर्ण किया जा रहा है तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रों के प्रवेश हेतु समयबद्ध रूप से किये गये कार्यों तथा समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की सत्रीय परीक्षाएँ सम्पन्न करने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक वर्ग के सदस्यों की भूमिका सराहनीय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 05.12.2023 को विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा माननीय शिक्षामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। दीक्षान्त समारोह की सफलता के लिए सम्मिलित समस्त सदस्यों को बधाई दी गई तथा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं माननीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। तत्पश्चात कुलपति महोदय की स्वीकृति से कुलसचिव (प्रभारी) द्वारा विद्या परिषद् की नौवीं बैठक की कार्यसूची को क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया।

संकल्प संख्या ९.१ : विद्या परिषद् की दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सर्वसम्मति से विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.२ : विद्या परिषद् की दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।

दिनांक 19.6.2023 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन पर कार्यवाही के विषय में विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई तथा अधोलिखित संकल्प संख्या पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:--

संकल्प संख्या ७.१८ : विभागाध्यक्ष, व्याकरण, प्राकृत भाषा एवं धर्मशास्त्र विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

सत्यापित
VERIFIED

7.18.1 : विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभाग द्वारा व्याकरण विभाग के अन्तर्गत एकवर्षीय पी.जी डिप्लोमा-संस्कृत भाषा विज्ञान स्ववित्त पोषित अंशकालीन पाठ्यक्रम को अन्तर्गत संचालित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की हुई है। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जानी है, तदुपरान्त स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।

7.18.2 : प्रो. सुदीप कुमार जैन, विभागाध्यक्ष, प्राकृत भाषा द्वारा प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्न है :--

01. विश्वविद्यालय की ओर से सी.यू.ई.टी. के संयोजकों व निर्देशकों को विश्वविद्यालय की ओर से आदर्श सम्भावित प्रश्नों का एक सी.यू.ई.टी. के प्रश्नों के मानकों के अनुरूप प्रश्नपत्र एवं पूछे जाने योग्य विषयों का विवरण भिजवाया जाए।

02. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में वार्षिक रूप में कार्यशाला या संगोष्ठी आदि के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष एक रूप बजट निर्धारित किये जाने के संबंध में।

03. विभागाध्यक्ष कार्यालय में लिपिक की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

04. प्रत्येक विभाग में शोध संबंधी गुणवत्ता हेतु शोध गतिविधियों मानक प्रणाली निर्धारित करने हेतु समिति का गठन करने के संबंध में।

उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित अन्य विभागों के समन्वय से शैक्षणिक विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

7.18.3 : विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग द्वारा धर्मशास्त्र विभाग के अन्तर्गत

- 1) बी.ए, एल.एल.बी. पाठ्यक्रम,
- 2) प्राचीन विधि शास्त्र अंशकालीन पाठ्यक्रम,
- 3) मानवाधिकार अंशकालीन पाठ्यक्रम

संचालित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति है। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा सकती है। इसके निरंतरता में एक टेबल एजेंडा 9.30 (7) पर विद्या परिषद् का संकल्प पारित है।

संकल्प संख्या ७.२० (५) : विभागाध्यक्ष, सांख्ययोग द्वारा विभाग के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रो. मार्कण्डेयनाथ तिवारी द्वारा सूचित किया गया कि इस पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना है। यह पाठ्यक्रम इस सत्र से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

बैठक में दिनांक 19.06.2023 के अन्य संकल्पों की पुष्टि की गई तथा यह निर्णय

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Dr. B. S.

लिया गया कि जिन विषयों पर किन्हीं कारणवश अभी तक कार्यवाही सम्पन्न न, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या ९.३ :

विद्या परिषद् की दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सर्वसम्मति से विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.४ :

विद्या परिषद् की दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।

दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों पर क्रियान्वयन के विषय पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिन विषयों पर कृत कार्यवाही किन्हीं कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या ९.५ :

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अस्थाई रूप से पंजीकृत शोध छात्रों के स्थाई पंजीकरण हेतु दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित शोध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु शोध मण्डल की बैठक दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। शोध मण्डल के समक्ष सम्बन्धित विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। शोध मण्डल द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत्त नियमों के अनुपालन में शोधार्थियों के स्थायी पंजीकरण की अनुमति दी गयी। विद्या परिषद् द्वारा शोध मण्डल की बैठक में पारित संस्तुतियों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.६ :

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक नियम-परिचायिका विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक-नियम-परिचायिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक-नियम-परिचायिका 2024-25 की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी तथा यह सुझाव भी दिया गया कि समस्त पीठप्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रदत्त समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

संकल्प संख्या ९.७ :

केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी। विद्या परिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सभी पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष/मार्गनिर्देशक अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को

सत्यापित
VERIFIED

संकल्प संख्या ९.८ :

यू.जी.सी. द्वारा जारी विनियमों के संबंध में समय-समय पर जानकारी प्रदान कर ताकि शोध छात्र अपना शोध कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर 2024-25 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर 2024-25 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। विद्या परिषद् के सदस्यों को यह भी अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार नॉन (सी.मू.ई.टी.) परीक्षा के परिणामों के आधार पर छत्रीप्रता सूची तैयार कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

संकल्प संख्या ९.९ :

छात्रावास परिषय एवं नियमावली विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु छात्रावास परिषय एवं नियमावली तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.१० :

परीक्षा मण्डल की संस्तुति एवं कुलपति महोदय की स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सम्बन्धित छात्रों की जनवरी माह में आयोजित परीक्षाएं शास्त्री एवं बी.ए. योग (प्रथम, तृतीय एवं पंचम सैमेस्टर), आचार्य एवं एम.ए. (योग, हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य (प्रथम एवं तृतीय सैमेस्टर) के नियमित एवं पुनः परीक्षार्थियों की परीक्षाओं का दिनांक 28.2.2024 (अधिसूचना -1/2024) को जारी किया गया परीक्षा परिणाम विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित सत्रोय एवं पुनः परीक्षाएं आयोजित की गयीं। निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु परीक्षा मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.११ :

शोधोपाधि समिति द्वारा संस्तुत दिनांक १.१२.२०२३ से ३०.५.२०२४ तक वाक् परीक्षा सम्पन्न विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के छात्रों की सूची विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत 16 शोध छात्रों को जारी अस्थायी प्रमाण-पत्र की सूची की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय भाषा दक्षता तथा शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी साहित्यिक चोरी रोकथाम

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव Registrar

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कृतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

श्रीलाल

संकल्प संख्या ९.१२ :

त्रि-नियम में प्रदत्त सभी नियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से भी अद्यतन करवाया जाए ताकि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।
शैक्षणिक नियम परिचायिका 2023-24 में प्रदत्त नियमानुसार विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में दृढ़-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक-विकास के लिए, नियमित एवं संगठित-जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रकल्याण-परिषद् के गठन की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.१३ :

दिनांक 4.1.2024 एवं 1.5.2024 को आयोजित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।
विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 4.1.2024 एवं 1.5.2024 को सम्पन्न हुई आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा जिन विषयों पर कृत कार्यवाही किन्हीं कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्विकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या ९.१४ :

दिनांक 19.6.2023 को आयोजित विद्या परिषद् की सातवीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुपालन में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार पाठ्यक्रम विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

दिनांक 19.06.2023 को आयोजित विद्या परिषद् की सातवीं बैठक की संकल्प संख्या 7.3 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा शास्त्री/बी.ए. योग कक्षा हेतु 03/04 वर्षीय अवधि के मापदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित कर Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं। विद्या परिषद् द्वारा अध्ययन मंडलों द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों की पुष्टि की गई तथा यह नुस्खा भी दिया गया कि सम्बन्धित विभाग Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार ही अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने विभाग में पंजीकृत छात्रों को नवीन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन करने हेतु आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यशाला

सत्यापित
VERIFIED

का भी आयोजन किया जाए।

संकल्प संख्या ९.१५ :

अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को प्राक्शास्त्री (10+2) कक्षा हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम विद्या परिपद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

सम्बन्धित विभागों द्वारा उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री/सीनियर सेकेण्डरी(10+2) हेतु तैयारपाठ्यक्रमों को दिनांक 22.3.2024 को आयोजित कार्य परिपद द्वारा पारित संकल्प संख्या 10.5(3) के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रदत्त नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिपद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जाए।

संकल्प संख्या ९.१६ :

शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिपद की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजित करवाने तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिपद द्वारा पुष्टि की गई।

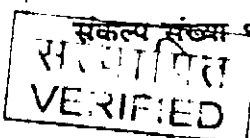
संकल्प संख्या ९.१७ :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिपद की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी प्रपत्र 12/12/2022 के अनुसार प्रेषित प्रारूप: (Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes) हेतु जारी दिशा-निर्देश, पाठ्यक्रम संरचना एवं विषयों की श्रेणी को संज्ञान में लेते हुए पाठ्यक्रम प्रारूप समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित पाठ्यक्रमों को Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम विवरण (Course Structure and Course Component) के अनुपालन में वांछित संशोधन/परिमार्जन एवं नवीनीकरण के अनुसार बहु-विषयक, क्षमता संवर्धन, कौशल संवर्धन, मूल्य वर्धन, प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजना श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए नए विषयों को संचालित करने हेतु लिए गए निर्णयों की विद्या परिपद द्वारा पुष्टि की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित विभाग नए विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार कर पाठ्यक्रम प्रारूप समिति के समक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंजीकृत होने वाले छात्रों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन-अध्यापन करवाना होगा।

संकल्प संख्या ९.१८ :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सूचना दिनांक 28.3.2024 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विद्यावारिधि में प्रवेश हेतु निर्धारित दिशानिर्देश विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु विद्या परिपद के विचारार्थ प्रस्तुत।



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 28.3.2024 को प्रकाशित सूचना के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार NTA द्वारा आयोजित होने वाली UGC-NE-प्लेक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तथा प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एवं नियमावली का कार्य शोध विभाग द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

संकल्प संख्या ९.१९ : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र विषयों में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

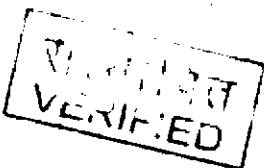
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र विषयों में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि नये विषयों को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा सत्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा यह निर्णय भी लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पद स्वीकृति हेतु शिक्षा मंत्रालय का पत्र प्रेषित किया जाए। यह पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 से आरम्भ किये जा सकत हैं।

संकल्प संख्या ९.२० : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत एम.ए. राजनीति विज्ञान संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत एम.ए. राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि एम.ए. राजनीति विज्ञान विषय को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम रूपरेखा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप), प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित



04/12

प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले आवश्यक स्थान तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

संकल्प संख्या ९.२१ :

विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभाग के अन्तर्गत संहिता ज्योतिष विषय में शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 19.06.2023 को आयोजित विद्यापरिषद् की सातवीं बैठक में संकल्प संख्या 7.20 (6) के अनुसार ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत प्रथम चरण में शास्त्री संहिता ज्योतिष विषय संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विद्या परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में ज्योतिष विभाग द्वारा दिनांक 13.07.2023 को अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर संहिता ज्योतिष विषय का पाठ्यक्रम, प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क निर्धारित करने हेतु लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले आवश्यक स्थान तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

संकल्प संख्या ९.२२ :

पीठप्रमुख आधुनिक विषय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान माला को विश्वविद्यालय में आयोजित करवाने हेतु विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी के जीवनवृत्त एवं संस्कृत जगत में योगदान को सराहना करते हुए विश्वविद्यालय में उनके नाम पर स्मारक व्याख्यानमाला आयोजित करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। सम्बन्धित पीठ द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार व्याख्यानमाला आयोजित करने हेतु निर्धारित समय-अवधि के दौरान इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा।

संकल्प संख्या ९.२३ :

अतिरिक्त छात्रावास की उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय विद्या परिषद् के सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।

कार्य परिषद् द्वारा अतिरिक्त छात्रावास उपलब्ध करवाने की स्वीकृति संबंधी कार्य परिषद् के निर्णय की प्रसन्नतापूर्वक पुष्टि की गई तथा इस प्रस्ताव पर छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

संकल्प संख्या ९.२४ :

पीठ प्रमुख, दर्शनशास्त्र द्वारा श्री स्वामी करपात्री शोधाध्ययन पीठ के स्थापना एवं दर्शन संकायान्तर्गत श्री स्वामिनारायण वेदान्त के अध्ययन-अध्ययापन एवं शोधकार्य आरम्भ करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा

संस्थापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar

पाठ्यक्रम जो अध्ययन मण्डल के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए। श्री स्वामी करपात्री शोधाध्ययन पीठ 'सरकारी नियमों के अनुसार सनस्ट आवश्यक प्रक्रियाएं सम्पन्न किये जाने के उपरांत यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से आरम्भ किया जा सकता है। दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्रीस्वामी नारायण वेदान्त का पाठ्यक्रम श्रीस्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है, तदनुसार श्रीस्वामी नारायण ट्रस्ट आवश्यक संसाधन तथा वित्त आदि की व्यवस्था उपरांत पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकता है।

संकल्प संख्या ९.२५ : शोध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में 'पाण्डुलिपि विज्ञान एवं लिपि विज्ञान' में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के अन्तर्गत 'पाण्डुलिपि विज्ञान एवं लिपि विज्ञान' एक वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये। तदुपरांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। समस्त निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

संकल्प संख्या ९.२६ : दर्शनपीठ के अन्तर्गत बौद्ध दर्शन विभाग खोलने एवं शास्त्री, आचार्य तथा विद्यावारिधि के पाठ्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी दर्शनपीठ प्रमुख के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय (प्रथम बैठक 28.11.1971 में संकल्प संख्या 4), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 में प्रदत्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन विभाग की स्थापना तथा विभाग के अन्तर्गत शास्त्री, आचार्य तथा विद्यावारिधि के पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये। प्रो. सुदीप कुमार जैन द्वारा इस विभाग के अन्तर्गत पालि भाषा को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया। समस्त निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत यह पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल की समीक्षा के उपरांत सत्र 2025-26 से प्रारम्भ किया जा सकता है।

संकल्प संख्या ९.२७ : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए. एवं एम.ए. इतिहास संचालित करने हेतु



पीठ प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए एवं एम.ए. इतिहास पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बी.ए एवं एम.ए. इतिहास विषय को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम रूपरेखा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप), प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

संकल्प संख्या ९.२८:

विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में पंजीकृत होने वाले छात्रों का सत्रीय पाठ्यक्रम ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जारी दिशा-निर्देश-2022 के अनुसार ऑफलाईन माध्यम से ही संचालित किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों में जिन अंशों में छूट प्रदान की गई है, उन अंशों में उनका पालन किया जाए।

संकल्प संख्या ९.२९:

आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए. एवं एम.ए. मनोविज्ञान विषय संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए एवं एम.ए. मनोविज्ञान पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। पाठ्यक्रम भारतीय मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पद स्वीकृति के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय।

सत्यापित
VERIFIED

संख्या 9.30 (1) : विश्वविद्यालय में पृथक् से क्रीड़ा विभाग (Department of Sports & Physical Education) की स्थापना करने हेतु क्रीड़ा प्रभारी द्वारा प्रेषित

प्रस्ताव विद्या परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत।

विद्या परिषद् के सत्र में प्रभारी (कीड़ा) द्वारा विश्वविद्यालय में पृथक् से कीड़ा विभाग (Department of Sports & Physical Education) की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

कीड़ा सम्बन्धित विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन एवं प्रतिदिन अभ्यास (Practice of Sports Event) विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों (खेल मैदान) के आधार पर किया जाए जैसे कि कुरुती, कबड्डी, रस्सा-कस्सी, बैडमिंटन, बॉलीबाल, क्रिकेट आदि।

उक्त खेल गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निर्धारित स्थान/कार्यालय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, जिम ट्रेनर-1, सहायक-1, लिपिक-2, ग्राउंड्समैन-2, स्टोरकीपर-1, एम.टी.एस.-2 एवं सम्बन्धित खेलों के कोचों की नियुक्ति गेस्ट फॅकल्टी के रूप की जाए।

स्वोमिंग तथा इन्डोर खेलों हेतु आई.आई.टी. कैम्पस एवं जे.एन.यू. कैम्पस के संयुक्त तत्वाधान में खेलों का अभ्यास किया जा सकता है।

व्यायामशाला हेतु विश्वविद्यालय में एक खुला व्यायामशाला स्थापित किया जाय जिसकी लिस्ट पृथक् से संलग्न है।

विभाग के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रोग्राम :-

Under-Graduate Three years Courses

Bachelor of Physical Education and Sports (BPES) with 30 seats.

Bachelor of Sports Nutrition & Dietetics (BSc) with 30 seats

विभाग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत करते हुए सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. कीड़ा विभाग स्थापित किये जाने के लिए अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित की जाए जिसमें Under-Graduate Three years Courses

-Bachelor of Physical Education and Sports (BPES) with 30 seats.

-Bachelor of Sports Nutrition & Dietetics (BSc) with 30 seats
के पाठ्यक्रम तैयार कर समीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाए।

02. पद सृजन करने हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाए।

03. वित्त समिति की बैठक में छात्रहित हेतु ए.आई.यू. के खेलों में भाग लेने हेतु टी.ए./डी.ए., अल्पाहार इत्यादि के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाए।

04. खेल मंत्रालय को छात्रहित में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के अनुदान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया जाए।

सत्यापित
VERIFIED

कार्यसूची संख्या 9.30 (2) :

ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत पृथक् से कंप्यूटर कोर्स में लघुपाठशाली, ज्योतिष एवं रोग, लघुजातकम्, जातकालकार संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

(क) विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार ज्योतिष विभाग द्वारा शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम (ज्योतिष प्रवेशिका, ज्योतिष प्राज्ञ, भैषज्य ज्योतिष एवं एडग्रॉस ज्योतिष भूषण डिप्लोमा) की कक्षाएँ निरन्तर सुचारु रूप से सञ्चालित की जा रही हैं। छात्रों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए "कैम्पस कोर्स" की पूर्ववत् ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से चलाया जा सकता है। कैम्पस कोर्स में लघुपाठशाली, ज्योतिष एवं रोग, लघुजातकम्, जातकालकार इत्यादि विषयों को लिया जा सकता है। इस कोर्स की अवधि 3 महीने की एवं फीस 5100/- ली जा सकती है। यह कोर्स सोमवार से शुक्रवार को संचालित किया जा सकता है।

(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया है कि भैषज्य ज्योतिष डिप्लोमा शनिवार एवं रविवार को संचालित किया जा रहा है। योग विभाग के छात्रों का निवेदन है कि यह पाठ्यक्रम कार्यदिवस में किया जाये जिससे सभी नियमित छात्र भी लाभान्वित हो सकें। अतः यह कोर्स भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार) के शाम को संचालित किया जा सकता है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

01. (क) पर अंकित प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। स्वयंसेवक आधारित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही को कुलमति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

02. भैषज्य ज्योतिष डिप्लोमा शनिवार व रविवार के स्थान पर योग एवं अन्य विद्यार्थियों के हित को दुष्टिगत रखते हुए सप्ताह के चार कार्यदिवसों में सायं 06.00 से 08.00 बजे तक संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या 9.30 (3) :

अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में अतिरिक्त भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ तथ पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृति भवन समिति, वित्त समिति तथा कार्य परिषद् द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस पर विद्या परिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। जिस की वृद्धि छात्रवास प्रबंधन समिति द्वारा विचार कर सुझाव देनी होगी। भविष्य में अतिरिक्त उपलब्ध भवन को किराये आदि पर देने हेतु यथासमय प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है।

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कार्यसूची संख्या 9.30 (4) : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए. एवं एम.ए. पर्यावरण विषय संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

इस विषय पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने के विषय में प्रस्ताव की समीक्षा हेतु प्रस्ताव पीठाध्यक्षों में बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

कार्यसूची संख्या 9.30 (5) : पीठ प्रमुख, पुराणविद्या द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार पीठ के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को तैयार करने हेतु आयोजित अध्ययन मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

विद्या परिषद् के सत्रागम में लाया जाता है कि दिनांक 19.6.2023 को आयोजित सातवीं बैठक की संकल्प संख्या 7.16 के अन्तर्गत पुराण विद्यापीठ की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। विद्या परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयानुसार पुराण विद्यापीठ के अन्तर्गत विभागों द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठकें आयोजित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं:

पुरातत्व विभाग

धर्मागम विभाग

प्राचीन इतिहास विभाग

संगीत विभाग

अध्ययन मण्डलों द्वारा तन्मन्वित विषयों का आचार्य एम.ए. कक्षा का पाठ्यक्रम रूपरेखा, प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार किया गया है, जोकि विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

"उक्त प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि साहित्य एवं संस्कृति पीठ के अन्तर्गत 'पुराण विभाग' को पुराण विद्या पीठ में स्थानांतरित किया जाता है।" अतः पुराण विद्या पीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग होंगे :-

पुराण विभाग

पुरातत्व विभाग

धर्मागम विभाग

प्राचीन इतिहास विभाग

संगीत विभाग

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तदुपरांत ही उक्त पाठ्यक्रम चरण क्रमानुसार नियमों के अनुरूप प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

सत्यापित
VERIFIED

[Signature]
कुलसचिव / Registrar

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, गुप्त सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 068
B-4, Gupta Sansthanik Area, New Delhi

[Signature]

कार्यसूची संख्या 9.30 (6) :

पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु आयोजित अध्ययन मण्डल बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा की भाषा संस्कृत ही रहेंगी।

कार्यसूची संख्या 9.30 (7) :

विभागाध्यक्ष धर्मशास्त्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारतीय ज्ञान परम्परा एवं धर्म विधि पीठ का नाम सर्वसम्मति से विचार-विमर्श करने के उपरान्त "धर्म-विधि पीठ" सुनिश्चित किया गया। वेद-वेदांग पीठ के अन्तर्गत आने वाले "धर्मशास्त्र विभाग" को धर्म-विधि पीठ के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस पीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग होंगे, जिनके पाठ्यक्रम तैयार हैं :--

01. धर्मशास्त्र विभाग
02. प्राचीन भारतीय पर्यावरण विभाग
03. प्राचीन भारतीय मानवाधिकार विभाग
04. प्राचीन भारतीय विधि विभाग

शेष दो विभागों के पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हैं :--

05. प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र विभाग
06. प्राचीन भारतीय इतिहास-पुरातत्व व अभिलेख विभाग

प्राचीन भारतीय विधि विभाग के क्रियान्वयन हेतु 'बार काउंसिल आफ इंडिया' से अनुमति आवश्यक है। क्रम संख्या-01 से 04 तक के विभागों के पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत हैं, क्रम संख्या-05 व 06 के विभागों के पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत किये जाने हैं। उक्त पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बैठक प्रो. यशवीर सिंह के सहयोग से जुलाई, 2024 में आयोजित की जाए। प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होने चाहिए। अन्य पीठों में विभागों की पुनर्रचना नहीं होनी चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत विभागों में अध्ययन-अध्यापन हेतु पद-स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रस्ताव शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाए, तदुपरान्त स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। समस्त क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया माननीय कुलपति जी की स्वीकृति से आरम्भ की जा सकती है। प्राचीन विधि शास्त्र अंशकालीन पाठ्यक्रम एवं मानवाधिकार अंशकालीन पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 से अध्ययन मण्डल की समीक्षा के उपरान्त आरम्भ किये जा सकते हैं। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सत्यापित
VERIFIED

श्री जय प्रकाश शर्मा, Registrar
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
सी-4, यू.पी. नगर, उत्तर प्रदेश-201301
B-4, Outer Ring Road, New Delhi-110018

कार्यसूची संख्या 9.30 (8) :

श्रमण विद्या पीठ की स्थापना तथा प्राकृतभाषा एवं साहित्य के प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पुनः संचालित करने हेतु ।
प्रो. सुदीप कुमार जैन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

01. श्रमण विद्या पीठ की स्थापना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई । विभाग पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित की जाए ।

02. प्राकृत भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रमों को अंशकालीन पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । विभागाध्यक्ष इस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

कार्यसूची संख्या 9.30 (9) :

विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य को दो पालियों में विभाजन करने हेतु ।
विद्या परिषद् द्वारा कक्षाओं तथा अन्य संसाधनों की कमी को देखते हुए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अध्ययन-अध्यापन को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु दो पालियों में विभाजन किया जाए ।
इसका प्रस्ताव विभागाध्यक्ष एवं पीठाध्यक्षों की बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

अध्यक्ष महादय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(संतोष कुमार श्रीवास्तव)
सचिव एवं कुलसचिव (प्रभारों)

(मुरलीमनोहर पाठक)
कुलपति

सत्यापित
VERIFIED